मुख्यमंत्री ने किया 'नो योर आर्मी' प्रदर्शनी का उद्घाटन

अत्याधुनिक उपकरण-हथियारों और युद्ध करने के तौर तरीकों से आमजन होंगे रूबरू

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सशस्त्र सेनाओं का आधुनिकीकरण अभूतपूर्व गति से बढ़ा
- भारतीय सेना हर देशवासी की ढाल और राष्ट्र की आत्मा- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा
- मुख्यमंत्री ने वीरांगनाओं का किया सम्मान
- भारतीय सेना की शक्ति का हुआ लाइव डेमोंस्ट्रेशन

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 78वें सेना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों के अन्तर्गत गुरूवार को भवानी निकेतन शिक्षा समिति परिसर में चार दिवसीय 'नो योर आर्मी' प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उन्होंने प्रदर्शनी में सेना के आधुनिक उपकरणों और हथियारों का अवलोकन भी किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 'नो योर आर्मी' प्रदर्शनी में अत्याधुनिक उपकरणों और युद्ध करने के तौर तरीकों की झलक मिलेगी। आमजन समझेंगे कि कैसे हमारी सेना दिन-रात सुरक्षा में तत्पर रहती है। शर्मा ने कहा कि भारतीय सेना हर देशवासी की ढाल, हर परिवार का भरोसा और राष्ट्र की आत्मा है। रेगिस्तान से लेकर बर्फीली सियाचीन तक हर मोर्चे पर हमारे जवान मुस्तैद खड़े हैं, ताकि देश के नागरिक सुरक्षित रहे।

उन्होंने 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान के तहत रक्षा उत्पादन में स्वदेशीकरण को प्राथमिकता दी है। इस दौरान आधुनिक रायफलें, बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली, सेल्फ प्रोपल्ड गन्स, टैंक, बंकर, ड्रोन एवं एंटी-ड्रोन सिस्टम्स सहित विभिन्न अत्याधुनिक सैन्य संसाधनों का प्रदर्शन किया गया। साथ ही, भारतीय सेना की मैकेनाइज्ड फोर्सेज, पैराग्लाइडिंग गतिविधियां, स्काई डाइविंग, डॉग स्क्वॉड सहित अन्य गतिविधियों का जीवंत प्रदर्शन किया गया।

कार्यक्रम में स्कूली शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरुण चतुर्वेदी, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) झाबर सिंह खर्रा, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम, सैनिक कल्याण राज्य मंत्री विजय सिंह, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, सप्त शक्ति कमान के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह, चीफ ऑफ स्टॉफ लेफ्टिनेंट जनरल एच.एस. वांदरा, पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा सहित भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारी, सैनिक, एनसीसी कैडेट्स और बड़ी संख्या में गणमान्य आमजन उपस्थित रहे।

'मास्टर प्लान में 80 फीट की सेक्टर रोड से अतिक्रमण क्यों नहीं हटाए'

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने एयरपोर्ट टर्मिनल-2 से मनोहरपुरा कच्ची बस्ती तक की 80 फीट की सेक्टर रोड पर अतिक्रमण से जुडे मामले में यूडीएच सचिव, जेडीए सचिव, जेडीए जोन-4 के उपायुक्त और प्रवर्तन अधिकारी से जवाब मांगा है। अदालत ने इन अधिकारियों से तीन सप्ताह में बताने को कहा है कि जब 2025 के मास्टर प्लान में यह रोड 80 फीट चौडाई में स्वीकृत है तो उस पर हो रहे अतिक्रमण क्यों नहीं हटाए गए। एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा व जस्टिस संगीता शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश शंकर कॉलोनी विकास समिति, जगतपुरा की जनहित याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता प्रहलाद शर्मा और अधिवक्ता लखन शर्मा ने अदालत को बताया कि एयरपोर्ट टर्मिनल-2 से मनोहरपुरा कच्ची बस्ती तक 80 फीट की सेक्टर रोड मास्टर प्लान में स्वीकृत है। इसके बावजूद इस सेक्टर रोड पर अतिक्रमण हो रखा है। कई जगह पर तो इस रोड की चौडाई आधी से भी कम रह गई है।

रैन बसेरों में जरूरतमंदों के लिए सुविधाएं उपलब्ध

जयपुर। नगर निगम जयपुर द्वारा शहर में संचालित रैन बसेरों में जरूरतमंद एवं निराश्रित व्यक्तियों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। रैन बसेरों में मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए जरूरतमंदों को सहायता प्रदान की जा रही है। सर्दी के मौसम को देखते हुए निगम अधिकारियों द्वारा व्यवस्थाओं की निरंतर मॉनिटरिंग भी की जा रही है। बुधवार को रात्रि में आयुक्त डॉ. गौरव सैनी ने जे.के लोन अस्पताल के गेट के पास, सांगानेर पुलिया के नीचे, गांधी नगर रेल्वे स्टेशन के सामने, महारानी फार्म पुलिया के नीचे रैन बसेरों का औचक निरीक्षण दिया एवं अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।

शहर में 12 स्थायी एवं 13 अस्थायी रैन बसेरों, कुल 25 रैन बसेरों का संचालन किया जा रहा है। इन रैन बसेरों में जरूरतमंदों के लिए निःशुल्क ठहराव, गर्म बिस्तर, कंबल, अलाव, स्वच्छ पेयजल एवं भोजन की समुचित व्यवस्था की गई है।

RIICO GROW WITH RAJASTHAN
राजस्थान सरकार का उपक्रम
RISING RAJASTHAN REPLETE • RESPONSIBLE • READY

औद्योगिक विकास के खुल रहे नये द्वार आप भी बनें भागीदार

सरल ई-नीलामी के माध्यम से आवंटन

आधारभूत सुविधाओं युक्त औद्योगिक क्षेत्रों में करें उद्यम की स्थापना

64 कुल औद्योगिक क्षेत्र | 299 कुल भूखण्ड | 290 औद्योगिक भूखण्ड | 09 लॉजिस्टिक भूखण्ड

उपरोक्त औद्योगिक क्षेत्रों पर प्रत्यक्ष आवंटन योजना-2025 लागू नहीं है

ईएमडी — प्रारम्भ तिथि: 09 जनवरी, 2026 (प्रात: 10:00 बजे) अंतिम तिथि: 23 जनवरी, 2026 (सायं 06:00 बजे)

ऑनलाईन बिड — प्रारम्भ तिथि: 27 जनवरी, 2026 (प्रात: 10:00 बजे) अंतिम तिथि: 29 जनवरी, 2026 (सायं 05:00 बजे)

30	आबू रोड़	03	चूरू	33	नागौर	08	उदयपुर
25	अजमेर	08	बीकानेर	07	पाली	03	जयपुर (दक्षिण)
05	अलवर	14	श्रीगंगानगर	24	झालावाड़	02	जयपुर (उत्तर)
08	भिवाड़ी-I	16	किशनगढ़	01	जालोर	25	ईपीआईपी सीतापुरा, जयपुर
19	भिवाड़ी-II	13	भीलवाड़ा	13	राजसमंद	02	जोधपुर
07	बोरानाडा	01	जयपुर (ग्रामीण)	20	कोटा	03	सवाईमाधोपुर
05	घिलोठ	01	सीकर	03	नीमराना		

*25% भुगतान के बाद, शेष 75% भुगतान 11 किश्तों में 8.5% ब्याज के साथ या 120 दिनों के भीतर ब्याज रहित भुगतान
या
रीको की टर्म लोन स्कीम के तहत भूमि की लागत का 75% तक का ऋण 5 साल की पुनर्भुगतान अवधि एवं 8.5% ब्याज के साथ
*केवल औद्योगिक भूखण्डों के लिए

आवेदन के लिए QR कोड स्कैन करें

राज.संवाद/सी/25/17325

राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302005
ई-नीलामी हैल्पलाइन नं. 0141-4593250, 4593237, व्हाट्सएप: +91 9001306515, ई-मेल: riico@riico.co.in
आवंटन से सम्बंधित नियमों एवं शर्तें, ईएमडी विवरण, रजिस्ट्रेशन एवं भूखण्ड से सम्बंधित जानकारी के लिए देखें
https://riico. rajasthan.gov.in या https://www.riico.co.in

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सराहा महिलाओं का हुनर

जयपुर। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आज राजस्थान विश्वविद्यालय में आयोजित 7 दिवसीय 'राष्ट्रीय महिला लोक कला एवं शिल्प कार्यशाला' के समापन समारोह में शिरकत की। इस दौरान आयोजकों की ओर से उपमुख्यमंत्री का सम्मान किया गया।

समारोह के दौरान उपमुख्यमंत्री ने विभिन्न राज्यों से आई महिला कलाकारों द्वारा लगाई गई स्टॉल्स का अवलोकन किया और कलाकारों से संवाद कर उनकी कलाकृतियों की सराहना की। उत्कृष्ट प्रतिभा का प्रदर्शन करने वाली कलाकारों को सम्मानित भी किया गया। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि यह आयोजन नारी सशक्तिकरण, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और लोक कलाओं को नई पीढ़ी तक पहुँचाने की दिशा में एक प्रेरणादायी पहल है।

प्री-प्राइमरी से फर्स्ट क्लास तक देना होगा आरटीई में प्रवेश

- कई स्कूलों में प्री-प्राइमरी कक्षाएं होने के कारण उनमें पहली कक्षा से पहले ही प्रवेश हो जाता है। जिसके चलते स्कूल आरटीई में प्रवेश नहीं देते

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि प्रदेश के निजी स्कूलों को प्री-प्राइमरी से फर्स्ट क्लास तक आरटीई के तहत प्रवेश देना होगा। निजी स्कूल इन कक्षाओं में से जिस भी कक्षा में विद्यार्थियों को प्रवेश देती है, उस कक्षा में 25 फीसदी सीटों पर आरटीई के तहत प्रवेश देने होंगे।

एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस बीएस संधू की खंडपीठ ने यह आदेश अभ्युत्थानम सोसायटी व अन्य की जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए। वहीं अदालत ने मामले में राज्य सरकार और निजी स्कूलों की अपील को खारिज कर दिया है।

अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि यदि स्कूल पहली कक्षा में अतिरिक्त सीटों पर सामान्य प्रवेश दे रहे हैं तो उसी अनुपात में 25 फीसदी सीटों पर आरटीई के तहत भी प्रवेश दिए जाएगे। अदालत ने मामले में गत 4 नवंबर को सभी पक्षों की बहस सुनकर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

जनहित याचिका में राज्य सरकार के साल 2020 की अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। अधिसूचना में कहा गया था कि निजी स्कूलों को आरटीई के तहत केवल पहली कक्षा में प्रवेश देने पर ही फीस का पुनर्भरण किया जाएगा। अधिवक्ता रिद्धि ने बताया कि कई स्कूलों में प्री-प्राइमरी कक्षाएं होने के कारण उनमें पहली कक्षा से पहले ही प्रवेश हो जाता है। जिसके चलते स्कूल आरटीई में प्रवेश नहीं देते। वहीं स्कूल प्रशासन की ओर से कहा गया कि स्कूलों के संसाधन सीमित हैं और राज्य सरकार ने फीस के पुनर्भरण को लेकर 2009 से लेकर अब तक कोई नियम नहीं बनाए हैं।

वहीं राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता सुरेंद्र सिंह नरूका ने कहा कि प्री प्राइमरी व पहली कक्षा दोनों लेवल पर आरटीई में प्रवेश हो तो प्री प्राइमरी में होने वाले प्रवेशों के लिए भी केन्द्र सरकार से निर्धारित फीस की पुनर्भुगतान राशि राज्य को दिलाई जाए। दूसरी ओर केन्द्र सरकार की ओर से कहा गया था कि आरटीई में प्रवेश की व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्यों की है, केन्द्र की नहीं।

सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने विस्तृत दिशा-निर्देश देते हुए निजी स्कूलों और राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया है।

नगर निगम का गोदाम पर छापा, एक लाख का जुर्माना

जयपुर। नगर निगम जयपुर द्वारा शहर को स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त बनाने के उद्देश्य से गंदगी फैलाने और सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग के विरुद्ध सख्त अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में निगम आयुक्त डॉ. गौरव सैनी के निर्देश पर गुरुवार को अतिरिक्त आयुक्त प्रवीण कुमार के नेतृत्व में स्वास्थ्य शाखा द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई।

अभियान के तहत बास बदनपुरा क्षेत्र स्थित एक गोदाम पर जांच कार्रवाई की गई। जांच के दौरान गोदाम परिसर में भारी गंदगी, डस्टबिन की अनुपस्थिति तथा सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग पाया गया। नियमों के उल्लंघन पर गोदाम मालिक राहुल शर्मा, निवासी पंजाबी कॉलोनी, के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए नगर निगम की ओर से एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।

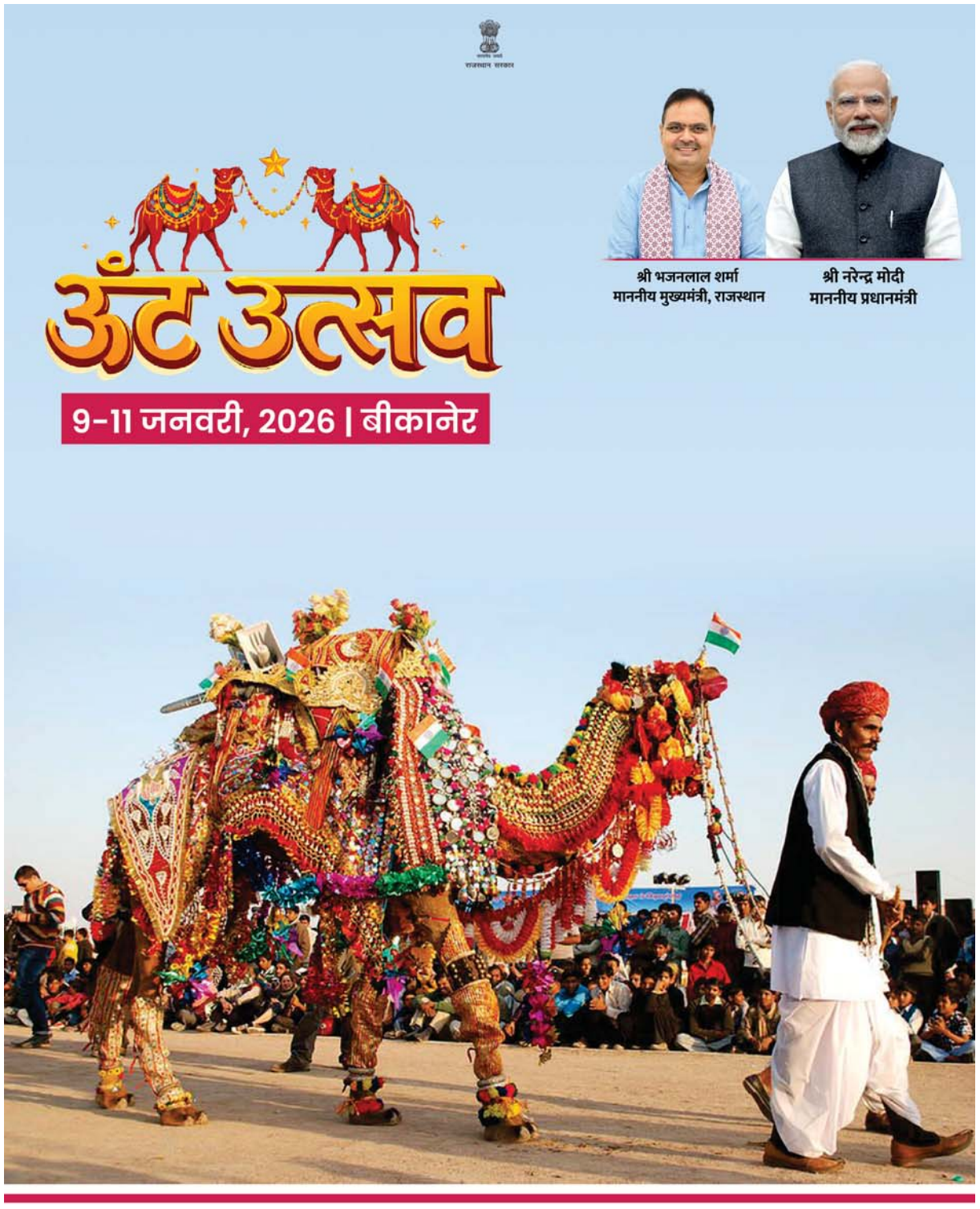

आप सभी सादर आमंत्रित हैं

पर्यटन विभाग एवं जिला प्रशासन, बीकानेर

अधिक जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें: पर्यटक स्वागत केन्द्र, बीकानेर, फोन: 0151-2226701

trcbikaner-dot@rajasthan.gov.in www.tourism.rajasthan.gov.in

rajasthantourism my_rajasthan rajasthan_tourism I department_of_tourism_bikaner

Rajasthan Tourism Channel

अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण कार्यक्रम में बदलाव संभव है

राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य !

राजस्थान संवाद

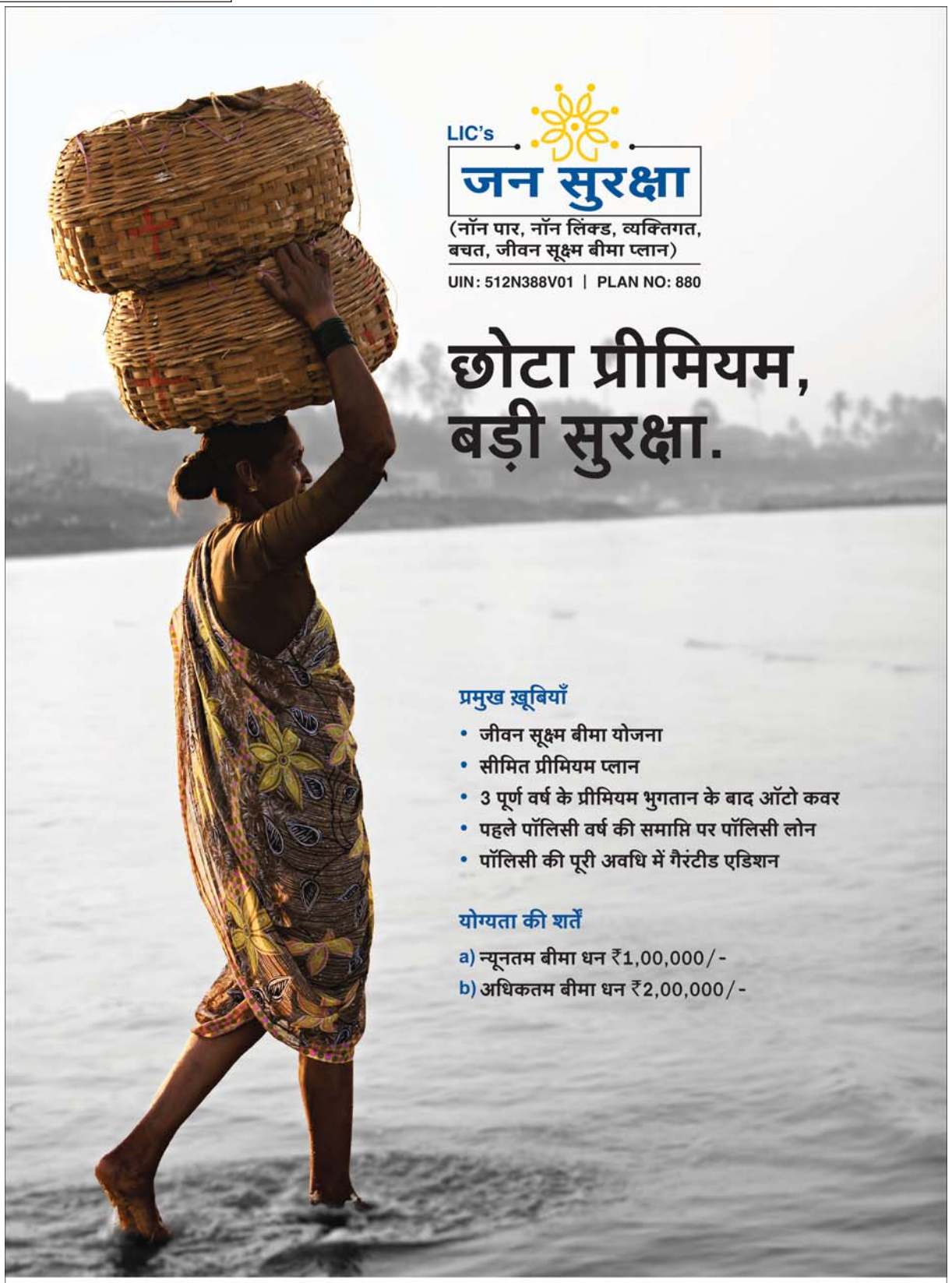

LIC's जन सुरक्षा
(नॉन पार, नॉन लिंक्ड, व्यक्तिगत, बचत, जीवन सूक्ष्म बीमा प्लान)
UIN: 512N388V01 | PLAN NO: 880

छोटा प्रीमियम, बड़ी सुरक्षा.

प्रमुख ख़ूबियाँ
- जीवन सूक्ष्म बीमा योजना
- सीमित प्रीमियम प्लान
- 3 पूर्ण वर्ष के प्रीमियम भुगतान के बाद ऑटो कवर
- पहले पॉलिसी वर्ष की समाप्ति पर पॉलिसी लोन
- पॉलिसी की पूरी अवधि में गैरंटीड एडिशन

योग्यता की शर्तें
a) न्यूनतम बीमा धन ₹1,00,000/-
b) अधिकतम बीमा धन ₹2,00,000/-

डाउनलोड कीजिए एलआईसी मोबाइल ऐप LIC digital | विज़िट करें:licindia.in | कॉल सेन्टर सर्विस (022) 6827 6827 | IRDAI Regn No.: 512

अधिक जानकारी के लिए अपने एजेंट/नज़दीकी एलआईसी शाखा से संपर्क करें या अपने शहर का नाम SMS करें 56767474 पर.

हमें फौलो करें: LIC India Forever | हमारा वॉट्सएप नं. 8976862090 कहिए 'Hi'

धोखेधड़ी वाले फ़ोन कॉल्स तथा झूठे/भ्रामक प्रस्तावों से सावधान रहें. आईआरडीएआई या इनके कर्मचारी बीमा व्यवसाय जैसे कि बीमा पॉलिसियों की बिक्री, बोनस की घोषणा या प्रीमियम्स के निवेश, राशियां लौटाना जैसी कोई भी गतिविधियों में शामिल नहीं होते हैं. जिन पॉलिसीधारकों या संभावित ग्राहकों को ऐसे फ़ोन कॉल्स मिलें, वे कृपया पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करें. कृपया बिक्री के समापन से पहले बिक्री पुस्तिका को ध्यान से पढ़ लें.

LIC भारतीय जीवन बीमा निगम LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA
हर पल आपके साथ

LIC/M1/2025-26/18/Hin